



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 67) पटना, बुधवार, 20 जनवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

20 जनवरी 2016

एस०ओ० 18 दिनांक 20 जनवरी 2016—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16/1993) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 95, दिनांक 31 जुलाई, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

संशोधन

- उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम संख्या-17 के स्तंभ-3 की वर्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
- उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या-34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, यथा—

क्र०सं०	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)
1	2	3
35	चिकित्साशास्त्र उपकरण, युक्ति और आरोपण।	5 %
36	चिकित्सा शास्त्र निदान के सभी उपयोगी औजार	5 %
37	इलेक्ट्रॉनिक गुड्स	8 %
38	सभी प्रकार के फूटवेयर किन्तु हवाई चप्पल एवं केवल प्लास्टिक से निर्मित चप्पल और सैन्डल को छोड़कर	5 %
39	सिलेसिलाये वस्त्र, होजियरी को छोड़कर परन्तु जिसमें बो, नेकटाई और कॉलर शामिल है।	5 %

क्र०सं०	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)
1	2	3
40	बीड़ी पत्ते	5 %
41	बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू	8 %

3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन- 09/2015-280)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

20 जनवरी 2016

एस०ओ० 19, एस०ओ० 18 दिनांक 20 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन- 09/2015-281)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 20th January 2016

S.O.18, dated 20th January 2016— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Departmental Notification Number S.O.- 95 dated 31 July, 2008, as amended from time to time, namely :-

Amendments

1. The present entries in column 3 of Serial number 17 of the said Schedule shall be substituted by the figure and word “ 12 percent”
2. After serial number 34 of the said notification, the following new serial numbers along with their corresponding entries shall be added, namely-

Sl. No.	Description of goods	Rate (in percent)
1	2	3
“35	Medical Equipments, Devices and Implants	5 %
36	Medical diagnostic kits	5 %
37	Electronic Goods	8 %
38	All kinds of Footwear but excluding Hawaii Chappals and Chappal and Sandle made exclusively of Plastic	5 %
39	Readymade garments other than hosiery but including necktie, bow and collar	5 %

Sl. No.	Description of goods	Rate (in percent)
1	2	3
40	Beedi Leaves	5 %
41	Unmanufactured Tobacco used in manufacturing of Biri”	8 %

3. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan- 09/2015-280)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum- Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 67-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>